न्यायालय सेशन न्यायाधीश, राजसमन्द (राज0)

पीठासीन अधिकारी : अल्का शर्मा, आरजेएस

(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

सेशन प्रकरण संख्या : 128/2024
(सी.आई.एस. नंबर : 252/24)
(सी.एन.आर. नंबर : RJRS010021592024)

राजस्थान राज्य।

.... अभियोगी

विरूद्ध

1. देवी सिंह पुत्र गुलाब सिंह, निवासी लालमादड़ी, जिला राजसमंद (राज.)।
2. भगवती लाल पुत्र रमेशचन्द्र, निवासी घोड़ा घाटी, पुलिस थाना देलवाड़ा, जिला राजसमंद (राज.)।

.......अभियुक्तगण

अपराध अन्तर्गत धारा 79 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015

उपस्थित :-

1. श्री रामलाल जाट, विद्वान् लोक अभियोजक-राज्य की ओर से।
2. श्री जगदीशचंद्र पुरोहित, विद्वान् अधिवक्ता-अभियुक्तगण की ओर से।

:: निर्णय :: **दिनांक : 08.07.2026**

1. यह प्रकरण थानाधिकारी, पुलिस थाना नाथद्वारा, जिला राजसमंद द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 578/2019 में बाद अनुसंधान दिनांक 09.11.2020 को न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नाथद्वारा में अभियुक्तगण देवी सिंह व भगवती लाल के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 79 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 में आरोप पत्र प्रस्तुत किये जाने पर संस्थित हुआ। विचारण के दौरान प्रकरण इस न्यायालय को अंतरित होकर प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया।

2. प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि परिवादिया राधा अहीर उ.नि. पुलिस थाना नाथद्वारा, जिला राजसमंद ने दिनांक 06.12.2019 को थानाधिकारी पुलिस थाना, नाथद्वारा के समक्ष एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की

प्रस्तुत की, कि दिनांक 06.12.2019 को जरिये टीपी राधा अहीर उ.नि. को चाईल्ड हैल्पलाईन से सूचना मिली कि लाल मादड़ी पर होटलों में बाल श्रम करवाया जा रहा है, जिस पर वह मय जाप्ता मय सरकारी वाहन व चालक के थाने से समय करीब 11.41 ए.एम. पर रवाना हो लाल मादड़ी पहुंचे, जहां चाईल्ड लाईन राजसमंद से गेहरीलाल मौजूद मिले। मय टीम होटल भैरूनाथ भोजनालय लालमादड़ी पहुंचे जहां रसोई के अंदर एक नाबालिग काम कर रहा था, जिससे नाम पूछने पर उसने अपना नाम भवानी शंकर पुत्र चम्पालाल भील, उम्र 14 वर्ष होना बताया। उसके द्वारा रसोई में बर्तन धोना व रोटियां बनाने का कार्य करना, जिसके पेटे 4,000/- रूपये प्रतिमाह मिलना बताया तथा मालिक का नाम देवीसिंह पिता गलाब सिंह, निवासी लाल मादड़ी होना बताया। उसके बाद मय टीम पास होटल हनी का ढाबा लाल मादड़ी पहुंचे, जहां रसोई के अंदर एक नाबालिग काम कर रहा था, जिससे नाम पूछने पर उसने अपना नाम अर्जुन पुत्र सन्नेशर भील, उम्र 12 वर्ष होना बताया तथा उसके द्वारा रसोई में बर्तन धोना व रोटियां बनाने का कार्य करना, जिसके पेटे 3,000/- रूपये प्रतिमाह मिलना बताया। दुकान मालिक का नाम हिम्मतसिंह पिता स्व. शिवसिंह, निवासी लालमादड़ी, राजसमंद होना। दोनों दुकानां के मालिक का किसी काम से बाहर होना बताया गया। मौके पर आवश्यक कार्यवाही करने के पश्चात् दोनों नाबालिग बच्चों को डिटेन कर नाबालिग बच्चों भवानी शंकर व अर्जुन को थाने पर लाये..... इत्यादि। इस रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना नाथद्वारा द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 578/2019, अपराध अंतर्गत धारा 79 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम में मामला पंजीबद्ध कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया।

अनुसंधान के दौरान गवाहान के बयान लेखबद्ध किये गये। डिटेनशुदा बालकों को जरिये फर्द डिटेन किया गया। घटना स्थल निरीक्षण कर नक्शा मौका मूर्तिब किया गया। सम्पूर्ण अनुसंधान के पश्चात् अभियुक्तगण देवी सिंह व भगवतीलाल के विरुद्ध धारा 79 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 का अपराध प्रमाणित पाया जाने पर न्यायालय अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नाथद्वारा में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. न्यायालय अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नाथद्वारा द्वारा बहस आरोप सुनने के पश्चात् अभियुक्त के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 79 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया, जिसे सुन व समझकर अभियुक्त ने आरोपित अपराध को अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

4. साक्ष्य अभियोजन के प्रक्रम पर प्रकरण इस न्यायालय को अंतरित होकर प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया।

5. अभियुक्त के विरुद्ध आरोप को साबित करने के क्रम में अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में गवाह पी.डब्ल्यू. 1 समय सिंह, पी.डब्ल्यू. 2 गहरीलाल, पी.डब्ल्यू. 3 अर्जुन, पी.डब्ल्यू. 4 भवानी शंकर, पी.डब्ल्यू. 5 हिम्मत सिंह, पी.डब्ल्यू. 6 घनश्याम व पी.डब्ल्यू. 7 राधा अहीर व को परीक्षित करवाया गया।

अभियोजन पक्ष द्वारा प्रलेखीय साक्ष्य में निम्नांकित दस्तावेजों को प्रदर्शित करवाया गया है :-

क्र.सं.	प्रदर्श	दस्तावेज
1.	प्रदर्श पी. 01	फर्द दस्तयाबी नाबालिग अर्जुन
2.	प्रदर्श पी. 02	फर्द दस्तयाबी नाबालिग भवानी शंकर
3.	प्रदर्श पी. 03	नक्शा मौका
4.	प्रदर्श पी. 04	नाबालिग अर्जुन के पुलिस बयान
5.	प्रदर्श पी. 05	पर्चा कायमी रिपोर्ट
6.	प्रदर्श पी. 06	चाक एफआईआर

6. अभियोजन साक्ष्य से प्रकट आपराधिक दायित्व के स्पष्टीकरण हेतु अभियुक्तगण का धारा 351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत परीक्षण किया गया तो अभियुक्तगण ने अभियोजन साक्ष्य को गलत होने तथा स्वयं के निर्दोष होने व झूठा फंसाया जाने के कथन किये। प्रतिरक्षा में कोई साक्ष्य पेश नहीं करना चाहा।

7. इस प्रकरण के निर्णय हेतु हमारे समक्ष मुख्य रूप से अवधार्य प्रश्न यह है कि :-

{1} क्या अभियुक्त देवीसिंह ने दिनांक 06.12.2019 को 02.45 पीएम या उसके लगभग लाल मादड़ी में भैरूनाथ भोजनालय पर अवयस्क बालक भवानी शंकर पुत्र चम्पालाल, आयु 14 वर्ष 6 माह को नियोजित कर उक्त बालक को नियोजन के प्रयोजनार्थ बंधक बनाकर रखा या उक्त बालक के उपार्जन को प्रतिधारित किया या उस उपार्जन को अपने निजी प्रयोजन के लिये प्रयोग किया ?

{2} क्या अभियुक्त भगवतीलाल ने दिनांक 06.12.2019 को 02.45 पीएम या उसके लगभग लाल मादड़ी में हनी का ढाबा पर अवयस्क बालक अर्जुन पुत्र सन्नेशर, आयु 12 वर्ष को नियोजित कर उक्त बालक को नियोजन के प्रयोजनार्थ बंधक बनाकर रखा या उक्त बालक के उपार्जन को प्रतिधारित किया या उस उपार्जन को अपने निजी प्रयोजन के लिये प्रयोग किया ?

{3} यदि हाँ, तो उचित दण्ड क्या होगा ?

8. अभियुक्त के विरूद्ध लगाए गए आरोप को साबित करने के संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से जो मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत की गई है, उसमें गवाह पी.ड. 01 समय सिंह ने सशपथ बयान में कथन किया है कि दिनांक 06.12.2019 को थाना नाथद्वारा में उसके कानिस्टेबल के पद पर रहते हुए उस दिन बाल कल्याण अधिकारी राधा अहीर, उनि. को मिली सूचना अनुसार वह व राधा अहीर लालमादड़ी पहुचे जहां पर चाईल्ड लाईन से गहरीलाल मिले, वे सभी होटल भैरूनाथ भोजनालय, लालमादड़ी पहुंचे जहां रसोई में बालक कार्य कर रहा था, जिसका नाम-पता पूछा तो बाल श्रमिक ने अपना नाम भवानी शंकर भील, उम्र 14 वर्ष होना एवं दुकान मालिक का नाम देवीसिंह पिता गुलाबसिंह, निवासी लालमादड़ी, राजसमंद होना बताया। उसके बाद वे सभी होटल हनी का ढाबा लालमादड़ी पहुंचे। जहां होटल के अंदर एक नाबालिक बच्चा अर्जुन भील, उम्र 12 वर्ष काम कर रहा था। उसने दुकान मालिक का नाम हिम्मत सिंह, निवासी लालमादड़ी होना बताया। दोनों नाबालिग बच्चों को नियमानुसार जरिये फर्द

दस्तेयाब किया तथा दोनों नाबालिग बच्चों को बाल कल्याण समिति राजसमंद को सुपुर्द किया। दोनों नाबालिग बच्चों ने बताया कि वे भोजनालय पर रसोई में बर्तन धोने व रोटियां बनाने का काम करते हैं। फर्द दस्तयाबी बालक अर्जुन व भवानी शंकर क्रमशः प्रदर्श पी 1 व प्रदर्श पी 2 है, जिन पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं।

9. गवाह पी.डब्ल्यू. 02 गहरीलाल ने सशपथ बयान में कथन किया है कि दिनांक 06.12.2019 को उसके चाईल्ड लाईन राजसमंद में कार्यरत रहते हुए उसने बाल कल्याण अधिकारी राधा अहीर, उनि. को सूचना दी कि लालमादड़ी पर बच्चों से बालश्रम करवाया जा रहा है। जिस पर राधा अहीर मय जाब्ता लालमादड़ी पहुचे जहां वह भी मौजूद था, वे सभी होटल भैरूनाथ भोजनालय, लालमादड़ी पहुंचे, जहां रसोई में बालक कार्य कर रहा था, जिसका नाम पता पूछा तो बाल श्रमिक ने अपना नाम भवानी शंकर भील, उम्र 14 वर्ष होना बताया। दुकान मालिक का नाम देवीसिंह पिता गुलाबसिंह, निवासी लालमादड़ी, राजसमंद होना बताया। उसके बाद वे सभी होटल हनी का ढाबा लालमादड़ी पहुंचे। जहां होटल के अंदर एक नाबालिक बच्चा अर्जुन भील, उम्र 12 वर्ष काम कर रहा था। उसने दुकान मालिक का नाम हिम्मत सिंह, निवासी लालमादड़ी होना बताया। दोनों नाबालिग बच्चों को नियमानुसार जरिये फर्द दस्तेयाब किया तथा दोनों नाबालिग बच्चों को बाल कल्याण समिति राजसमंद को सुपुर्द किया। दोनों नाबालिग बच्चों ने बताया कि वह भोजनालय पर रसोई में बर्तन धोने व रोटियां बनाने का काम करते हैं। फर्द दस्तयाबी बालक अर्जुन प्रदर्श पी 1 व बालक भवानीशंकर प्रदर्श पी 2 है तथा नक्शा मौका प्रदर्श पी 3 है, जिन पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं।

10. गवाह पी.डब्ल्यू. 03 अर्जुन पक्षद्रोही साक्षी है, जिसने सशपथ बयान में कथन किया है कि वह करीब पांच साल पहले घोड़ा घाटी नेशनल हाईवे नंबर 8 पर उसके पिता सनेसर ढाबे पर काम करते जिनके साथ वह उक्त ढाबे पर खाना खाने के लिए गया हुआ था। वह जब ढाबे पर था, उस समय पुलिस वाले आये और उसे गाड़ी में बिठाकर ले गये। पुलिस ने उससे पूछताछ की थी। ढाबे का नाम उसे याद नहीं है। इस स्तर पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया। गवाह ने लोक अभियोजक द्वारा जिरह में ढाबे का नाम हनी दा ढाबा हो सकने का कथन किया तथा प्रदर्श पी

4 का ए से बी भाग तथा सी से डी भाग में अंकित कथन करने से इंकार किया एवं ढाबे के मालिक का नाम भगवती पिता रमेशचंद्र राजपूत था।

11. गवाह पी.डब्ल्यू. 04 भवानी शंकर ने सशपथ बयान में कथन किया है कि बयान से करीब पांच साल पहले वह भैरूनाथ भोजनालय, लालमादड़ी में बर्तन धोने का काम करता था, उसने वहां 15-20 दिन काम किया था। उस वक्त पुलिस वालों ने उसे पकड़कर बाल कल्याण समिति में भेज दिया। वह उक्त होटल पर 6,000/- रुपये महीना के हिसाब से काम करने के लिए गया था। होटल मालिक का नाम देवीलाल था। उसकी फर्द दस्तीयाब प्रदर्श पी 2 है, जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर हैं।

12. गवाह पी.डब्ल्यू. 05 हिम्मत सिंह ने सशपथ बयान में कथन किया है कि दुकान उसके पिता स्व. शिवसिंह चदाणा की थी, जिनकी मृत्यु के बाद उसके व उसके भाई प्रकाशसिंह के स्वामित्व में है। उक्त टीनशेड दुकान उन दोनों भाईयों ने जून, 2019 में एक लिखित किरायेनामे के जरिये प्रतिमाह चार हजार रुपये की दर से भगवतीलाल पिता रमेशचंद्र को दी थी, जो भगवतीलाल हनी ढाबा नाम से चला रहा था। उक्त दुकान में कौन काम करता, यह उसे नहीं पता।

13. गवाह पी.डब्ल्यू. 06 घनश्याम ने सशपथ बयान में कथन किया है कि पुलिस ने गेहरीलाल की निशांदेही से घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा मौका प्रदर्श पी 3 बनाया, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं।

14. गवाह पी.डब्ल्यू. 07 राधा अहीर ने सशपथ बयान में कथन किया है कि दिनांक 06.12.2019 को उसके थाना नाथद्वारा में एसआई के पद पर रहते हुए चाईल्ड लाईन राजसमंद से मिली सूचना पर वह मय जाप्ता भैरूनाथ भोजनालय, लालमादड़ी पर पहुँचे जहाॅ गेहरीलाल चाईल्ड लाईन सदस्य राजसमंद के साथ भोजनालय के अंदर जाकर देखा तो रसोई में एक नाबालिग काम कर रहा था, जिसका नाम पता पूछा तो बाल श्रमिक ने अपना नाम भवानी शंकर पिता अम्बालाल, उम्र 14 वर्ष, निवासी रूपजी का गुडा, थाना खमनोर होना तथा भोजनालय मालिक द्वारा उसे महीने के चार हजार रुपये मजदूरी देना बताया तथा

मालिक का नाम देवीलाल पुत्र गुलाब सिंह, निवासी लालमादड़ी होना बताया, जो काम से बाहर जाना बताया। उसके बाद वह मय जाप्ता पास ही स्थित होटल हनी ढाबा, लालमादड़ी पर गये तो वहां होटल की रसोई के अंदर एक नाबालिग काम कर रहा था, जिसका नाम पता पूछा तो बाल श्रमिक ने अपना नाम अर्जुन पिता सन्नेशर, उम्र 12 वर्ष, निवासी वल्लभनगर होना तथा मालिक द्वारा उसे महीने के तीन हजार रुपये मजदूरी देना बताया तथा मालिक का नाम हिम्मतसिंह पुत्र स्व. शिवसिंह, निवासी लालमादड़ी होना बताया, जो काम से बाहर जाना बताया। उक्त दोनों बालकों द्वारा होटल पर रसोई का कार्य व रोटियां बनाने का कार्य करना बताया। उक्त दोनों बालकों को जरिये फर्द दस्तेयाब किया, फर्द दस्तेयाबी बालक अर्जुन प्रदर्श पी 1 व बालक भवानीशंकर प्रदर्श पी 2 है। घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 3 है, पर्चा कायमी रिपोर्ट प्रदर्श पी 5 है, चाक एफआईआर प्रदर्श पी 6 है, जिन पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने गवाहान के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध किये। संपूर्ण अनुसंधान से उसने अभियुक्त देवीसिंह व भगवतीलाल के विरुद्ध धारा 79 जेजे एक्ट का अपराध प्रमाणित मानकर चार्जशीट न्यायालय में पेश की।

15. हमने उभय पक्ष की बहस सुनी।

16. विद्वान लोक अभियोजक की ओर से बहस की गई है कि इस प्रकरण में कुल 07 गवाहान के बयान कराये गये हैं तथा इन सभी ने नाबालिग बालक भवानी शंकर को अभियुक्त देवी सिंह के प्रतिष्ठान भैरूनाथ भोजनालय व नाबालिग बालक अर्जुन को अभियुक्त भगवतीलाल के होटल हनी का ढाबा पर बर्तन धोने व रोटियां बनाने का तथ्य संदेह से परे साबित किया है। बालकों के नाबालिग होने का तथ्य गवाहों के बयानों से भी साबित है। प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी राधा अहीर ने प्रकरण में विस्तृत अनुसंधान करते हुए गवाहान के बयानों एवं दस्तावेजात के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित पाया है। इस प्रकार अभियोजन की साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध किया जावे।

17. विद्वान अधिवक्ता बचाव पक्ष की ओर से बहस की गई है कि इस प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाहान् में से पी.डब्ल्यू. 03 अर्जुन नाबालिग बालक पक्षद्रोही रहा है, जिसने अभियोजन कहानी का किंचितमात्र भी समर्थन नहीं किया है। इसके अतिरिक्त ना ही नाबालिग के पिता अथवा अन्य किसी परिवारजन एवं विश्वसनीय स्वतंत्र साक्ष्य को परीक्षित करवाकर यह तथ्य साबित किया गया कि कथित होटल भैरूनाथ भोजनालय व हनी का ढाबा पर नाबालिग बालक भवानी शंकर व अर्जुन को बालश्रम के लिए रखा गया था। प्रकरण में अधिकांशतः गवाहान पुलिसकर्मी होकर हितबद्ध साक्षी है। इस प्रकरण में पुलिस द्वारा नाबालिग बालकों को डिटेन करने के संबंध में किसी स्वतंत्र गवाह को मौतबीर नहीं बनाया है। अभियोजन का एकमात्र गवाह भी ऐसा नहीं है जो यह साबित कर पाया हो कि कथित प्रतिष्ठान भैरूनाथ भोजनालय का संचालनकर्ता अभियुक्त देवी सिंह व हनी का ढाबा का संचालनकर्ता अभियुक्त भगवतीलाल ही था। इस संबंध में स्वयं अनुसंधान अधिकारी गवाह पी.डब्ल्यू. 07 राधा अहीर ने जिरह में यह स्वीकार किया कि उसने किराया चिट्टी के अतिरिक्त होटल के मालिकाना-स्वामित्व से संबंधित दस्तावेज प्राप्त नहीं किये थे और ना ही नाबालिग बालकों के होटल/ढाबे में काम करने के संबंध में हाजिरी रजिस्टर या ऐसा कोई दस्तावेज जिससे बालकों से मौके पर किसी प्रकार का बालश्रम करवाये जाने या उसका नियोजन किये जाने का तथ्य साबित होता हो। लिहाजा, अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध साबित करने के लिए कोई साक्ष्य पत्रावली पर है ही नहीं। अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जावे।

18. हमने उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। इस प्रकरण का प्रारम्भ परिवादिया राधा अहीर उ.नि., पुलिस थाना नाथद्वारा द्वारा पेश की गई रिपोर्ट प्रदर्श पी. 05 के आधार पर हुआ है, जिसमें परिवादिया ने यह अंकित किया है कि दिनांक 06.12.2019 को चाईल्ड हेल्पलाईन से मिली सूचना पर लालमादड़ी भैरूनाथ भोजनालय पर पहुंचे, जहां रसोई के अंदर नाबालिग बालक भवानीशंकर, उम्र 14 वर्ष रसोई में बर्तन धोने व रोटियां बनाने का कार्य करते हुए पाया गया अथवा प्रतिष्ठान का मालिक देवीलाल होना बताया

गया तथा उसके बाद मय जाप्ता वह पास के होटल हनी का ढाबा, लालमादड़ी पर पहुंचे तो वहां रसोई के अंदर नाबालिग बालक अर्जुन, उम्र 12 वर्ष रसोई में बर्तन धोने व रोटियां बनाने का कार्य करते हुए पाया गया अथवा होटल मालिक का नाम हिम्मत सिंह होना बताया गया....आदि। उक्त रिपोर्ट पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होकर अनुसंधान के पश्चात् अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया।

परिवादिया की उक्त रिपोर्ट में अंकित तथ्यों की सत्यता हेतु प्रकरण में स्वयं परिवादिया सहित छापेमारी दल के अन्य सदस्यों व पीड़ित बालकों सहित अनुसंधान अधिकारी की साक्ष्य का अवलोकन करें तो, प्रकरण की परिवादिया राधा अहीर को अभियोजन पक्ष की ओर से पी.डब्ल्यू. 7 के रूप में परीक्षित करवाया गया है, जिसने अपने मुख्य बयानों में यद्यपि घटनास्थल पर पहुंचने पर नाबालिग बालक भवानीशंकर को भैरूनाथ भोजनालय पर रसोई में बर्तन धोने व रोटियां बनाने अथवा उक्त प्रतिष्ठान का मालिक देवीलाल होना तथा नाबालिग बालक अर्जुन भी होटल हनी का ढाबा पर रसोई में बर्तन धोने व रोटियां बनाने का कार्य करते हुए पाये जाने अथवा उक्त प्रतिष्ठान का मालिक हिम्मत सिंह होने का कथन अवश्य किया है, परन्तु जिरह में गवाह ने स्वीकार किया कि **"बाल श्रमिकों के पहचान संबंधी दस्तावेज उसके द्वारा नहीं लिए गए तथा गवाह ने यह भी स्वीकार किया कि उसने अभियुक्त से शामिल किराया चिट्ठी के अलावा मालिकाना हक संबंधी अन्य कोई दस्तावेज प्राप्त नहीं किया।"**

इसके अतिरिक्त जाप्ता दल के सदस्य गवाह पी.डब्ल्यू. 01 समय सिंह ने बयान में कथन किये कि दिनांक 06.12.2019 को राधा अहीर, उ.नि. को मिली सूचना पर लाल मादड़ी भैरूनाथ भोजनालय पर पहुंचे, जहां नाबालिग बालक भवानी शंकर व पास की होटल हनी का ढाबा पर नाबालिग बालक अर्जुन से बलात परिश्रम कराया जा रहा था, इसके अतिरिक्त उक्त गवाह ने जिरह में इस कथन को स्वीकार किया कि उसके पुलिस बयान में थाने से निकलने का समय एवं घटनास्थल पर पहुंचने का समय नहीं लिख रखा है। गवाह ने यह भी स्वीकार किया कि पत्रावली पर बालक के काम करते हुए के फोटो नहीं है।

इसके अतिरिक्त प्रकरण के अन्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षी गवाह पी.डब्ल्यू. 02 गहरीलाल की सूचना के आधार पर परिवादिया द्वारा उक्त कार्यवाही किया जाना बताया है, उक्त गवाह ने जिरह में कथन किया कि वह चाईल्ड हेल्प लाईन, राजसमंद कार्य करता था, इस संबंध में कोई दस्तावेज पत्रावली पर मौजूद नहीं है। गवाह ने इस कथन को स्वीकार किया है कि उसने पुलिस को फोटो खींचने वाला मोबाईल अथवा फोटोग्राफ्स नहीं दिये।

प्रकरण के अन्य गवाह पी.डब्ल्यू. 05 हिम्मत सिंह ने बयान में कथन किये कि दुकान उसके पिता स्व. शिवसिंह की मृत्यु के बाद उसके व उसके भाई प्रकाशसिंह के स्वामित्व में है। उक्त दुकान उन दोनों भाईयों ने जून, 2019 में एक लिखित किरायेनामे के जरिये भगवतीलाल को दी थी, जो भगवतीलाल हनी ढाबा नाम से चला रहा था। उक्त दुकान में कौन काम करता है, यह उसे नहीं पता। उक्त गवाह ने जिरह में यह स्वीकार किया कि किराया चिट्ठी की फोटोप्रति पर किसी गवाह के हस्ताक्षर नहीं है।

प्रकरण के अन्य गवाह पी.डब्ल्यू. 06 घनश्याम ने बयान में कथन किये कि गेहरीलाल की निशांदेही से पुलिस वालों ने नक्शा मौका प्रदर्श पी 03 बनाया। उक्त गवाह ने जिरह में यह स्वीकार किया कि पुलिस वालों ने उसके खाली कागजों पर हस्ताक्षर कराये थे।

गवाह पी.डब्ल्यू. 03 अर्जुन, जो कि इस प्रकरण में नाबालिग पीड़ित पक्षद्रोही साक्षी है, जिसने अपने मुख्य बयानों में कथन किया कि उसके पिता घटना से 4-5 वर्ष पूर्व से ही ढाबे पर काम कर रहे हैं, वह उक्त ढाबे पर खाना खाने के लिए गया हुआ था, उस वक्त पुलिस वाले आये और उसे गाड़ी में बिठाकर ले गये। इसके अतिरिक्त लोक अभियोजक की जिरह में गवाह ने स्वयं के पुलिस बयान प्रदर्श पी 04 का ए से बी व सी से डी भाग के कथन करने से इंकार किया। बचाव पक्ष की जिरह में गवाह ने इस कथन को स्वीकार किया कि **"उसके पिता ढाबे पर काम करते थे, जिस कारण वह अपने पिता से मिलने व खाना खाने के लिए गया था।"**

इसके अतिरिक्त प्रकरण में गवाह पी.डब्ल्यू. 04 भवानीशंकर, जो कि इस प्रकरण में नाबालिग पीड़ित साक्षी है, जिसने अपने मुख्य बयानों में कथन किया कि बयान से करीब पांच साल पहले उसने भैरूनाथ भोजनालय, लालमादड़ी में बर्तन धोने का 15-20 दिन तक काम किया था। जिसके द्वारा होटल मालिक का नाम देवीलाल बताया गया था। बचाव पक्ष की जिरह में गवाह ने इस कथन को स्वीकार किया कि **"वह होटल पर खाने के लिए गया हुआ था।"**

हस्तगत प्रकरण में महत्वपूर्ण बात यह है कि गवाह पी.डब्ल्यू. 07 राधा अहीर जो कि इस प्रकरण की अनुसंधान अधिकारी है, ने अनुसंधान के दौरान कथित बाल श्रमिकों के माता-पिता या या परिवारजन या अन्य आस-पड़ोस के दुकानदारों के बयान लिये जाकर प्रकरण में उन्हें गवाह के रूप में परीक्षित करवाया जाना भी आवश्यक नहीं समझा, जो यह बयान देते कि उक्त प्रतिष्ठान भैरूनाथ भोजनालय का मालिक अभियुक्त देवीसिंह व होटल हनी का ढाबा का संचालनकर्ता अभियुक्त भगवतीलाल हो अथवा उनके द्वारा अपने प्रतिष्ठानों पर बालकों से बर्तन धुलाने व रोटियां बनाने का बाल श्रम करवाया जा रहा हो। ऐसी स्थिति में प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी द्वारा अत्यन्त लापरवाही का प्रदर्शन करते हुए अधूरा अनुसंधान किया जाना प्रकट होता है। साथ ही बालकों के अलावा अभियोजन के सभी गवाह पुलिसकर्मी होकर हितबद्ध साक्षी हैं तथा घटनास्थल के आसपास अन्य मौजूद स्वतंत्र व्यक्ति को गवाह नहीं बनाया गया। यद्यपि अभियोजन द्वारा अभियुक्त देवी सिंह प्रतिष्ठान भैरूनाथ भोजनालय का मालिक व प्रतिष्ठान हनी का ढाबा का संचालनकर्ता अभियुक्त भगवतीलाल को साबित करने का प्रयास किया गया है, जो दस्तावेजों के अभाव में अभियोजन पक्ष साबित करने में असफल रहा है।

यहां यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि इस प्रकरण का सबसे महत्वपूर्ण गवाह पी.डब्ल्यू 03 बालक अर्जुन पक्षद्रोही घोषित हुआ है तथा गवाह पी.डब्ल्यू 04 बालक भवानी शंकर के बयानों में बालश्रम करवाने के संबंध में विरोधाभासी तथ्य प्रकट हुए हैं, जिससे अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध साबित मान लिया जाना संभव नहीं है। इस प्रकरण में ऐसा कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है कि अभियुक्तगण द्वारा किसी भी प्रकार से उक्त प्रतिष्ठानों पर नाबालिग बालक भवानी शंकर व अर्जुन से

बर्तन साफ करने व रोटियां बनाने की मजदूरी करवाई गई हो। इस प्रकरण में घटनास्थल के आसपास अन्य मौजूद स्वतंत्र व्यक्ति को गवाह नहीं बनाया गया। प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी राधा अहीर ने जिरह में स्वीकार किया है कि **"बाल श्रमिकों के पहचान संबंधी दस्तावेज उसके द्वारा नहीं लिए गए तथा गवाह ने यह भी स्वीकार किया कि उसने अभियुक्त से शामिल किराया चिट्टी के अलावा मालिकाना हक संबंधी अन्य कोई दस्तावेज प्राप्त नहीं किया।"** इसके साथ ही अनुसंधान अधिकारी ने प्रकरण में ऐसा कोई दस्तावेज यथा उपस्थिति रजिस्टर, वेतन रजिस्टर आदि प्राप्त नहीं किये जो उक्त बालकों से मौके पर किसी प्रकार का बालश्रम करवाये जाने या उनका नियोजन किये जाने का तथ्य साबित करता हो। इन सभी कारणों से अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण देवी सिंह व भगवतीलाल के द्वारा नाबालिग बालक भवानी शंकर व अर्जुन को तथाकथित प्रतिष्ठान भैरूनाथ भोजनालय व होटल हनी का ढाबा पर बाल श्रमिकों के रूप में नियुक्त करते हुए उन्हें उनकी इच्छा के विरूद्ध श्रम करने के लिये विधि विरूद्ध तौर पर विवश किये जाने का तथ्य युक्तियुक्त सन्देह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। इसके अतिरिक्त इस प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी द्वारा घटनास्थल वाले प्रतिष्ठानों के स्वामित्व संबंधी दस्तावेज भी प्राप्त नहीं किये गये, जिससे कथित प्रतिष्ठान अभियुक्तगण के होने का तथ्य ही प्रमाणित नहीं हो रहा है। लिहाजा, अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध साबित करने के लिए कोई साक्ष्य पत्रावली पर है ही नहीं।लिहाजा अभियुक्तगण देवी सिंह व भगवतीलाल को संदेह का लाभ दिया जाकर आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 79 किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 में दोषमुक्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

19. निष्कर्षतः अभियुक्तगण **1.** देवी सिंह पुत्र गुलाब सिंह, निवासी लालमादड़ी, जिला राजसमंद (राज.) व **2.** भगवती लाल पुत्र रमेशचन्द्र, निवासी घोड़ा घाटी, पुलिस थाना देलवाड़ा, जिला राजसमंद (राज.) को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा

79 किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के आरोप में संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्तगण के इस प्रकरण में नियमित उपस्थिति बाबत् पूर्व प्रस्तुत जमानत-मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

(अल्का शर्मा)
सेशन न्यायाधीश, राजसमंद

20. निर्णय आज दिनाँक 08.07.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अल्का शर्मा)
सेशन न्यायाधीश, राजसमन्द